न्यास का नाम	–	"स्व0 बी0एन0 सिंह मेमोरियल ट्रस्ट"
ट्रस्ट का कार्यालय पता	–	म0नं0–624बी/152 विजयीपुर,गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0–226010,
न्यास का निर्माता	–	कुसुम सिंह पत्नी श्री विनोद कुमार सिंह निवासिनी–म0नं0–624बी/152 विजयीपुर, गोमतीनगर, लखनऊ, उ0प्र0
न्यास का कार्य क्षेत्र	–	सम्पूर्ण भारत .
न्यास का स्वरूप	–	यह न्यास एक चैरिटेबल संस्था है, जिसका उद्देश्य धर्मार्थ एवं लोक कल्याणकारी, गो सेवा, गौशाला स्थापना, मंदिर निर्माण, शैक्षिक संस्थान अस्पताल एवं वृद्धाश्रम की स्थापना व संचालन इत्यादि करने से है। यह किसी व्यक्तिगत लाभ के लिये कार्य नही करेगी।

न्यास का संविधान

a) न्यास का संविधान/न्यास की प्रबन्धकारिणी समिति – उपरोक्त वर्णित संस्था न्यास के उद्देश्यों को पूरा करने व न्यास के कार्य संपादन करने के लिए न्यासीगण द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा किसी बैंक में खाता खोलेगें जिसमें न्यास फण्ड का पैसा जमा होगा एवं खाते का संचालन कुसुम सिंह पत्नी श्री विनोद कुमार सिंह निवासिनी–म0नं0–624बी/152 विजयीपुर,गोमती नगर, लखनऊ, उ0प्र0, (मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक) अथवा श्री यशवन्त बहादुर सिंह पुत्र स्व0 बी0एन0 सिंह निवासी–ग्राम–टेकी, पट्टी, पोस्ट–बिहार, तहसील–कुण्डा,जनपद–प्रतापगढ, उ0प्र0, द्वारा पृथक–पृथक या संयुक्त हस्ताक्षर से अथवा प्रबन्धक न्यासियों की सहमति से किसी भी न्यासी के द्वारा मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक/निदेशक के साथ संयुक्त रूप से संचालित करेगे।

b) प्रबन्ध समिति में सभी न्यासी आजीवन सदस्य रहेगे जिसमें किसी अन्य न्यासी वर्तमान न्यासीगणों के बहुमत से सम्मिलित किया जा सकेगा। यदि किसी न्यासी की मृत्यु हो जाती है तो उसके विधिक उत्तराधिकारी को उसके स्थान पर न्यास में सम्मिलित किया जायेगा।

कुसुम सिंह DPS

c) न्यास के क्रिया कलापों के बारे में प्रबन्धक अन्य सदस्यों से विचार विमर्श करके निर्धारण करेगा किन्तु सदस्यों के विचार व सलाह से किसी भी तरह से प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक पर बाध्यकारी नहीं होगा।

d) समस्त न्यासीगण जैसा उचित समझे उन्हें न्यास की इस विलेख द्वारा की जा रही व्यवस्था को परिवर्तन करने रूपान्तरण करने का अधिकार प्रबन्धक की सहमति से होगा, किन्तु प्रत्येक परिवर्तन, रूपान्तरण एवं परिवर्द्धन का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

e) न्यास में न्यासियों की संख्या न्यूनतम दो होगी।

f) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास की चल–अचल सम्पत्ति पट्टे पर देने, विक्रय करने व किराये पर देने एवं न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं को विक्रय करने, पट्टे पर देने, दान आदि देने का अधिकार मुख्य न्यासी का होगा।

g) न्यास के नाम से कोई अचल सम्पत्ति किसी भी मुख्य ट्रस्टी के हस्ताक्षर से क्रय की जा सकेगी।

h) यदि आवश्यकता हो तो प्रबन्धक न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उप समिति का गठन कर सकता है। नव गठित उप समिति प्रबन्धक/न्यासी मण्डल के प्रति उत्तरदायी होगी।

i) न्यास द्वारा लाये गये वादों या न्यास पर लाये गये वादों की पैरवी हेतु अधिवक्ता या प्रतिनिधि करने की जिम्मेदारी व अधिकार मुख्य न्यासी/प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक को होगा।

j) न्यास के कार्य संचालन हेतु कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार प्रबन्धक को होगा एवं इसको देय वेतन की धनराशि का निर्धारण प्रबन्धक न्यासी मण्डल की सहमति से करेगा।

k) न्यास के विघटन की दशा में समस्त सम्पत्ति न्यासकर्ता के उत्तराधिकारी या न्यासकर्ता द्वारा नामित व्यक्ति के पक्ष में जायेगी।

l) किसी भी न्यासी के मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी या न्यासी के जीवन काल में उसके द्वारा नामित प्रतिनिधि प्रबन्धक के सहमति से न्यास मण्डल में उस न्यासी का स्थान लेगा।

m) मुख्य न्यासी की मृत्यु के पश्चात् मुख्य न्यासी द्वारा नामित व्यक्ति या मुख्य न्यासी का उत्तराधिकारी ही न्यास का प्रबन्धक होगा मुख्य न्यासी अपने जीवन काल में मुख्य न्यासी किसी भी व्यक्ति को नामित कर सकता है।

n) न्यास या न्यास द्वारा संचालित संस्था/संस्थाओं का प्रबन्धक मुख्य न्यासी द्वारा किया जायेगा। मुख्य न्यासी ही न्यास/न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं का प्रबन्धक/प्रबन्ध निदेशक/एम0डी0 होगा।

o) मुख्य न्यासी/प्रबन्धक द्वारा लिये गये सभी निर्णय का अनुमोदन न्यासी मण्डल द्वारा लिया जायेगा। मतैक्य न होने की दशा में सदस्य मण्डल के सदस्यों के बहुमत की सहमति आवश्यक होगी।

p) न्यासी मण्डल की त्रैमासिक, अर्द्धवार्शिक बैठक आवश्यकतानुसार मुख्य न्यासी द्वारा आहूत की जायेगी।

q) ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट संचालित संस्थाओं की देख रेख करें ओर उसके एकाउन्ट, रसीद एवं कागजातों आदि का निरीक्षण करें और उनके निरीक्षण के लिए किसी भी आडीटर की नियुक्ति आवश्यकतानुसार करें।

r) न्यास मंडल की बैठक बुलाना और उसे आवष्यकतानुसार स्थगित करने का भी अधिकार मुख्य ट्रस्टी को होगा।

ट्रस्ट के उद्देश्य :–

1. न्यास का मुख्य उद्देश्य धर्मार्थ एवं लोक कल्याणकारी, मंदिर निर्माण, गौशाला स्थापना, शैक्षिक संस्थान, अस्पताल एवं वृद्धाश्रम की स्थापना व संचालन करने, चलाने, मदद, अनुदान व वित्तीय सहायता देने, विकास करने व संचालन व देखभाल करना।
2. वृद्धजनों के सेवा सत्कार, वृद्धाश्रमों को स्थापित करने, चलाने, मदद, अनुदान व वित्तीय सहायता देने, विकास करने व संचालन व देखभाल करना।
3. पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण, सामाजिक वानिकी, दहेज उन्मूलन, हरियाली कार्यक्रम, ऊसर, बंजर भूमि सुधार, बागवानी विकास, वैकल्पिक ऊर्जा विकास, पशु पक्षी संरक्षण, भूमि एवं जल प्रबन्धन, पशुपालन आदि कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना।
4. योग व आयुष के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना, योग प्रशिक्षण एवं आयुष चिकित्सालय की स्थापना करना।
5. नशामुक्ति, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य कल्याण टीकाकरण, पुष्टाहार, जनसंख्या नियंत्रण, कुष्ठ उन्मूलन, वैश्यावृति उन्मूलन, करना।

D.P.S.
अनुपसिंह

6. केन्द्रीय एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित विभिन्न संस्थागत सांस्कृतिक एवं रोजगार पर शिक्षा तथा अन्य कार्यक्रमों का संचालन करना।
7. ज्ञान एवं शोध तथा अन्य तत्समय उद्देश्यों हेतु छात्रवृत्तियाँ तथा फेलोशिप प्रदान करना।
8. ऐसा हर सम्भव कदम उठाना जो न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपकारी एवं सहायक हो।
9. शासन की मंशा के अनुरूप राष्ट्रीय एकता एवं समाज के उत्थान के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना।
10. समाज के स्वरोजगार योजना एवं आत्मनिर्भरता की भावना जागृत करना।
11. गरीब विकलांगों, मूक बधिर, मन्दबुद्धि आदि को शिक्षा दीक्षा, पुर्नवास हेतु कार्य करना एवं प्रचार प्रसार करना तथा सरकारी विभिन्न कार्यक्रमों के प्रति जागरूकता पैदा करना।
12. गरीब अनुसूचित जातियों हेतु शिक्षा दीक्षा एवं रोजगार परक शिक्षा का प्रबन्ध करना।
13. गरीब एवं निराश्रित महिलाओं के कल्याणार्थ एवं उनके जीवन स्तर को उठाने हेतु रोजगार परक शिक्षा देना एवं कार्य करना।
14. गरीब अल्प संख्यक वर्ग के कल्याणार्थ कार्य करना।
15. परिवार नियोजन एवं कुष्ठ रोग नियन्त्रण हेतु समाज में जागरूकता पैदा करना एवं कार्य करना।
16. केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवसाय परक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा,चिकित्सा शिक्षा एवं शिक्षा की व्यवस्था करना तथा शिक्षण प्रशिक्षण करना तथा तत्सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं का संचालन करना।
17. समाज कल्याण विभाग द्वारा जनहित में चलाये गये कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना एवं समाज कल्याण विभाग हेतु वह प्रत्येक कार्यक्रमों को करना जो समाज व देश के हित मे हो तथा प्राकृतिक व दैवीय आपदा आने पर पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करना व शासन प्रशासन द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करना।
18. भारतीय संस्कृत भाषा दर्शन, साहित्य कला एवं संगीत तथा अन्य प्राच्य विधायों आयुर्विज्ञान के सम्वर्धन एवं विकास में सार्थक भूमिका हेतु समय–समय पर गोष्ठियों एवं व्याख्यानमाला, शोध

DPA

एवं शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना एंव उसके विकास के लिए प्रकाशन एवं प्रदर्शनियों का आयोजन करना।

19. शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना, प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देना एंव शिक्षा द्वारा सामाजिक कुरीतियों को दूर करना तथा लोगों को वैज्ञानिक एवं उपयोगी जानकारी से अवगत कराना इसके लिए छात्रवृत्ति, पेंशन एवं आर्थिक सहायता, वेतन, विद्यालय को अनुदान स्कूल, कालेज, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास, शैक्षणिक, संस्थानों की स्थापना एवं संचालन करना।

20. ग्रामीण अंचलों, नागरिकों, बालक–बालिकाओं की शैक्षणिक विकास हेतु प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च एवं उच्चोत्तर विद्यालय एंव महाविद्यालयों की स्थापना करना एवं उसका संचालन करने के लिए समुचित प्रबन्ध करना।

21. चिकित्सा पद्धति के विभिन्न विधाओं के विकास हेतु होम्योपैथिक आयुर्वेदिक एवं एलोपैथिक, प्राकृतिक चिकित्सा, मेडिकल कालेज की स्थापना करना एवं सफल संचालन करना।

22. तकनीकी शिक्षा हेतु इंजीनियरिंग, आई०टी०आई० पॉलीटेक्निक कालेज की स्थापना करना एवं संचालन करना।

23. लोगों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु इलेक्ट्रानिक कला एवं टाइपिंग, टेलरिंग, ब्यूटीशियन के क्षेत्र में प्रशिक्षण योजनाए चलाना और लघु एवं कुटीर उद्योग लगाने हेतु शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

24. व्यवसायिक शिक्षा प्रदान करने हेतु विभिन्न प्रकार के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना।

25. विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के तहत लोगो के इलाज हेतु विभिन्न हास्पिटल की स्थापना करना एवं सफल संचालन करना।

26. चिकित्सीय एवं तकनीकी क्षेत्र में विशेष शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु रिसर्च सेंटरों की स्थापना करना तथा सफल संचालन करना।

27. सीमान्त एवं लघु सीमान्त कृषकों के उत्थान एवं कृषि में उन्नति हेतु कृषि महाविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करना।

28. पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, वेटनरी फार्मेसी महाविद्यालय एवं पशु चिकित्सा की स्थापना। असहाय एवं अनाथ पशुओं की चिकित्सा, सुरक्षा एवं पुर्नवास की व्यवस्था। डेयरी उद्योग एवं पशुपालन को प्रोत्साहित करते हुए ग्रामीणों को स्वावलम्बी बनाना।

D.P.S

29. पशु चिकित्सा, पशुपालन एवं गौसेवा (गौशाला) कृषि के उत्तरोत्तर विकास के लिए शोध कार्य करना।
30. शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों एवं बच्चों हेतु विकलांग विद्यालय एवं अन्ध विद्यालय की स्थापना करना एवं उसके पुर्नवास हेतु पुर्नवास केन्द्र की स्थापना करना तथा उसका सफल संचालन करना।
31. एड्स, कुष्ठ रोग एवं यौन रोग, पोलियों, कैंसर, तपेदिक एवं अन्य संक्रामक बीमारियों तथा जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए जन जागरण, पीड़ित व्यक्तियों की योग चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, आर्युवैदिक चिकित्सा, होम्योपैथिक चिकित्सा, एवं ईश्वरी चिकित्सा द्वारा इलाज करके आरोग्य (स्वास्थ्य लाभ) प्रदान कराना।
32. प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ, अकाल, भूकम्प, आगजनी, महामारी एवं दुर्घटना में समय–समय पर पीड़ितों की सहायता करना।
33. पर्यावरण, जल प्रबन्धन और ग्लोबल वार्मिंग हेतु समय–समय पर संगोष्ठियों एवं प्रशिक्षण करना, सम्मेलनों इत्यादि का आयोजन करना एवं जन जागरण करना।
34. निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिये उनके अधिकारों एवं दायित्यों के प्रति शिक्षण एवं प्रशिक्षण करना।
35. जन सामान्य को न्याय दिलाने हेतु समय–समय पर विधिक सहायता केन्द्र चलाकर विधिक जानकारी प्रदान करना।
36. समय–समय पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन करना।
37. पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना।
38. समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करना।
39. सामाजिक कुरीतियों जैसे दहेज उत्पीड़न, अत्याचार एवं यौन शोशण, बाल यौन शोषण, मादक द्रव्यों का सेवन इत्यादि के विरूद्ध जनजागरण करना एवं विधिक सहायता प्रदान करना।
40. जन समुदाय में राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करने हेतु भारतीय महापुरूषों एवं स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी से सम्बन्धित संगोष्ठियों, सेमिनार एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।
41. नव युवकों को रोजगार प्रदान करने हेतु डेयरी फार्म व पशुपालन प्रदान करना। लेखन चित्रकारी कला कौशल की प्रतियोगिता अन्य शिक्षण संस्थाओं के सहयोग द्वारा संचालित करना।

42. स्वरोजगार योजना के तहत खाद्य सामग्री की शुद्धता का विशेष ध्यान देते हुए खाद्य सामग्री का उत्पादन करना एवं सशक्तीकरण करना तथा सहकारी समिति का गठन कर उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं तक पहुँचाना।
43. स्वरोजगार के तहत वन औषधि, पौधों का संरक्षण, एवं वृक्षारोपण एवं उनसे उत्पादन संग्रह कर उपभोक्ताओं तक पहुँचाना।
44. अनाथ, असहाय बच्चों की देख रेख, पालन–पोषण, शिक्षा चिकित्सा इत्यादि हेतु पुर्नवास की व्यवस्था करना तथा परिवार की अवधारणा में पुर्नवास केन्द्र की स्थापना करना।
45. महिलाओं एवं वृद्धों हेतु पुर्नवास एवं सेवा आश्रम की स्थापना करना।
46. वन जीव जन्तु, पक्षी इत्यादि के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु सघन अभियान चलाना आदि।
47. आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की शिक्षा, चिकित्सा, शादी विवाह, रोजगार आदि की सुव्यवस्था हेतु बहुउद्देश्यीय केन्द्र बनाना। बहुउद्देश्यीय पाठ्यक्रम संचालित करना।
48. प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित लोगों का संगठन बनाकर योग्यता एव क्षमता के अनुरूप रोजगार हेतु सक्षम बनाना एवं सुव्यवस्था करना।
49. असंगठित मजदूरों को संगठित कर नियमित रोजगार प्रदान कराने का प्रयास करना तथा उनकी समस्याओं का उचित एवं वैधानिक समाधान करना व कराना।
50. क्षेत्रवासियों में स्वावलम्बन एवं आत्मनिर्भरता की भावना को उत्पन्न करते हुए खादी ग्रामोद्योग, आयोग/बोर्ड की नीतियों के अनुरूप शिक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हुए उत्पादन केन्द्र खोलना व संचालन करना।
51. इस संस्था के अन्तर्गत समिति एवं उप समितियों का निर्माण करना। इनके द्वारा धर्मार्थ सर्वेक्षण द्वारा विभिन्न परिक्षेत्रों में उपेक्षित वंचित शोषित वर्ग हेतु कल्याणकारी योजना बनाना तथा निर्धनता निवारण हेतु अनुसंधान करना।
52. सामान्य उद्देश्यों से प्रेरित अन्य संस्थाओं का अपने आवश्यकतानुसार सम्बन्ध होना एवं उसका अधिग्रहण करना तथा उसकी सदस्यता प्रदान करना।

53. सरकारी, अर्धसरकारी, निगमों, संस्थाओं, विभागों उत्तर प्रदेश वासन निर्यात निगम, लघु उद्योग निदेशालय, महिला कल्याण निगम, पिछड़ा कल्याण निगम, अल्पसंख्यक कल्याण निगम तथा अन्य वित्तीय एजेन्सियों एवं सक्षम तथा योग्य अनुभवी व्यक्तियों के माध्यम से प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करना।

54. कार्यक्रमों एवं उसके वित्तीय सहायता अनुदान परामर्श आदि लेकर समाज के निर्धन, पिछड़ा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को प्रशिक्षित करके स्वावलम्बी बनाना।

55. कृषि क्षेत्र में कृषक समाज को आर्थिक व सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने, सहकारी खेती को बढ़ावा देना इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कृषि वैज्ञानिकों के माध्यम से कृषक मेला आदि का आयोजन करना साथ ही साथ कृशि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना, समुचित जल प्रबन्ध करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना करना, मृदा संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण हेतु जैविक कृषि को बढ़ावा देना, कृषि उपज को बेहतर मूल्य हेतु विपणन की व्यवस्था करना, मृदा प्रशिक्षण करना।

56. केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के संचालन में सहयोग/सहभागिता करना।

57. समस्त वर्ग के मनुष्यों नर, नारी, बाल-वृद्ध, छात्र एवं छात्राओं के अध्यात्मिक उन्नति विकास के लिए ध्यान साधना, जप, तप, योग प्राणायाम, संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम, ईश्वरी साधना, यज्ञ आदि के कार्यक्रमों को संचालित करना।

58. यह ट्रस्ट विलेख इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के तहत ट्रस्ट के निर्माण में कारपस फण्ड मुबलिग रू0-11,000/-(ग्यारह हजार रूपया मात्र) मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट को दिया जा रहा है इसके अतिरिक्त अभी कोई भी अचल सम्पत्ति इस विलेख के माध्यम से ट्रस्ट में अन्तरित नहीं की जा रही है जिससे विलेख के पंजीकरण हेतु स्टाम्प एक्ट एवं पंजीकरण हेतु वर्तमान में प्रचलित विधि व्यवस्था के अनुसार मुबलिग रू0 1,000/-रूपये जरिये ई-स्टाम्प शुल्क मुख्य ट्रस्टी द्वारा अदा किया गया है।

लिहाजा यह ट्रस्ट विलेख उभय पक्षों ने समक्ष गवाहान दुरुस्त होशो हवास में लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त व जरूरत पर काम आवें।

लखनऊ
दिनांक–18/11/2021

गवाहान –

1. नाम–मनु प्रताप सिंह

पुत्र–श्री संतोष कुमार सिंह
निवासी–9999/5, लौंगा खेड़ा
कैनाल साइड, खरिका, तेलीबाग,
लखनऊ, उ0प्र0
मो0नं0–8957515011
पेशा–अध्ययन

2. नाम–मयंक प्रताप सिंह

पुत्र–श्री संतोष कुमार सिंह
निवासी–9999/5, लौंगा खेड़ा
कैनाल साइड, खरिका, तेलीबाग,
लखनऊ, उ0प्र0
मो0नं0–9794841714
पेशा–नौकरी

हस्ताक्षर/(मुख्य ट्रस्टी)
मो0नं0–8853543181
पेशा–समाज सेवी

टाईपकर्ता

ए0पी0 सिंह

मसविदाकर्ता

ओंकार नाथ सिंह
एडवोकेट
सदर तहसील, लखनऊ

सिलसिले का नम्बर	बही	खण्ड	पृष्ठ	रजिस्ट्रीकरण की तारीख	प्रस्तुतकर्ता निष्पादनकर्ता का नाम व पता	पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटोग्राफ
1	2	3	4	5	6	7
				मुख्य ट्रस्टी (निदेशक)	श्रीमती कुसुम सिंह पत्नी श्री विनोद कुमार सिंह निवासी – 624बी/152 विजयपुर, गोमती नगर, लखनऊ उ.प्र.	
				मुख्य ट्रस्टी	देवेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री विनोद कुमार सिंह निवासी – 624बी/152 विजयपुर, गोमती नगर, लखनऊ	
				गवाह – 1	मनु प्रताप सिंह पुत्र – श्री संतोष कुमार सिंह निवासी – 9999/5, लौगा खेड़ा कैनाल साइड, खरिका तेलीबाग, लखनऊ उ.प्र.	
				गवाह – 2	मयंक प्रताप सिंह पुत्र – श्री संतोष कुमार सिंह निवासी – 9999/5, लौगा खेड़ा, कैनाल साइड, खरिका तेलीबाग लखनऊ उ.प्र.	

भारत सरकार
Government of India

3554 8885 0660

मेरा आधार, मेरी पहचान

8853543181

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

3554 8885 0660